



● बीआरकेजीबी लघु सड़क परिवहन ऋण योजना

1.	उद्देश्य	सड़क परिवहन को बढ़ावा देने हेतु ओटो रिक्शा, कार, जीप, ट्रक, ट्रेक्टर क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराना
2.	पात्रता	ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बैंक के सेवा क्षेत्र में निवास करता है अथवा जिसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित नहीं किया गया है अथवा मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है।
3.	सुविधा का प्रकार	नया वाहन खरीदने हेतु आवधिक ऋण।
4.	ऋण सीमा का निर्धारण	1. वाहन की लागत मय रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स राशि का 75 प्रतिशत 2. आवेदित राशि बिन्दु संख्या 1 व 2 में जो भी कम हो।
5.	मार्जिन	वाहन की लागत मय रजिस्ट्रेशन व इन्श्योरेन्स राशि का 25 प्रतिशत (न्यूनतम)
6.	ब्याज दर	बैंक द्वारा समय समय पर जारी परिपत्रानुसार लागू होगी।
7.	पुनर्भगतान	अधिकतम 84 मासिक किश्तों में
8.	प्रतिभूति	1. वाहन का दृष्टिबन्धन 2. दो व्यक्तियों की व्यक्तिगत जमानत 3. उत्तरदिनांकित 10 चैक प्राप्त किये जायेंगे।
9.	सेवा प्रभार	प्रोसेसिंग चार्ज, दस्तावेज शुल्क, निरीक्षण प्रभार, बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार वसूल किया जावेगा।